सं.आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष/पदोन्नति/निजी सचिव/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

दिनांक: 12 दिसम्बर 2025

कार्यालय आदेश

विषय: परिषद में निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

****

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित निजी सहायक को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) पर नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उनकी पदोन्नति, उनके पदोन्नत पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थानों/केन्द्रों के नाम	तैनाती का नया स्थान
1.	श्री टीका बहादुर	आरएमआरसीएनई डिब्रूगढ़	आरएमआरसीएनई डिब्रूगढ़

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नत पद को ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दें तथा कार्यभार ग्रहण करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि पदाधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं तथा यह पदोन्नति आदेश आगे किसी अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. परिषद के नियमों के अनुसार वे भारत में कहीं भी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, निजी सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. वे परिषद की सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

श्री टीका बहादुर,
निजी सहायक,
आरएमआरसीएनई डिब्रूगढ़

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एस.पी.)/अपर महानिदेशक(ए.एस.)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. आरएमआरसीएनई डिब्रूगढ़ के निदेशक- इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने कार्यभार संभालने/पदोन्नति से इंकार करने की रिपोर्ट, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को तुरंत **admin1.hq@icmr.gov.in** पर भेजी जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(वित्त)।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग।
5. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा ¬/VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार डेस्क, परिषद मुख्यालय।
8. सहायक निदेशक,(राजभाषा), परिषद मुख्यालय।
9. बजट/गार्ड फ़ाइल।